

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 02/08/2022

कमांक 587/130/आउशि/निर्माण/शाखा-6/22 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक 347/आर-1703/चार/ब-1/2012, दिनांक 31.03.2017 लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया तथा एफ 2-1/2022/नियम/चार, दिनांक 03 जून 2022 द्वारा विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं के परिपालन में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य तथा विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के प्रस्तावों के निर्णय हेतु निम्न परीक्षण समिति का गठन किया जाता है :-

क्र.	नाम एवं पद	पद
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	अध्यक्ष
2.	परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू या उनके मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
3.	श्री धमेन्द्र हाड़ा, संयुक्त संचालक (वित्त)	सदस्य
4.	डॉ. पुर्णिमा लोदवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, बजट शाखा	सदस्य
5.	डॉ. अनिल राजपूत, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, निर्माण शाखा	सदस्य - सिके

(दीपक सिंह)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 02/08/2022

पृ0क. 588/130/आउशि/निर्माण/शाखा-6/22
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश